

७८. १. २०

अंतर्गत १७ वीं प्राधिकरण
 अन्तर्गत अधिनियम है। द्वितीय पक्ष ३ अरु
 विपक्ष कावार्थ पक्ष में कोई प्रमाणित राजस्व कावार्थ
 प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्नगत सूचि के
 भाग के द्वितीय पक्ष पर उक्त सूचि के भाग के
 अन्तर्गत कोई भी कावार्थ प्रस्तुत नहीं
 किया गया जबकि प्रथम पक्ष के पुत्र की
 सूचि प्रसार सुधारा अपने निजी वस्तु अन्तर्गत
 साथ प्रश्नगत सूचि के कय संबंधी डीडी
 की प्रति प्रस्तुत किया गया। अंतर्गत
 No. 5807 dated १-७-७५, के इन्फॉर्मेशन पर
 के अन्तर्गत अधिनियम के अन्तर्गत १७ वीं प्राधिकरण

खण्ड 1147, 1012, 953 में खरा
 कुल: 37 1/4 बीघा, 11 3/4 बीघा एवं 12 बीघा का कुल क्षेत्रफल है
 जो Sale deed No. 8231 दिनांक 17-12-74
 के द्वारा प्लॉट 1147 के 15 बीघा का
 कुल क्षेत्रफल है। जिसका मालिक मंगल मंगलपंजी 2 के प्लॉट
 नं० 60/3 म. इन्डियन स्टेट बैंक ऑफ़ रायपुर के नाम
 से खरीदा है। इनके द्वारा लगाए गए रजिस्ट्रार के ऑर्डर
 154315 वर्ष 2007-08, एवं No. 575053
 वर्ष 1986-87 का खिलाना बाधक है।

इसके अलावा प्लॉट नं० 1147, 1012,
 953 खरा कुल: 0.52 1/4, 0.05 7/8 एवं 0.06 बीघा
 का मालिक लखन सिंह इन्डियन स्टेट बैंक के नाम पर चला
 रहा है। जिसके विरुद्ध विपक्षी के द्वारा अतीत के काल
 बाद मिली न्यायालय के दायित्व का नुकसान कोर्ट
 की कार्रवाई प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी के
 द्वारा अपने दावे के पक्ष में कोई प्रमाणित राजह
 कार्रवाई प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः विपक्षी के आपत्ति आदेशों का खारिज किया
 जाता है। विपक्षी प्रस्तुत भूमि में अपना हक-हिसा
 भी गणना कर रहे हैं, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
 नहीं है। देखते हुए वे अक्षय न्यायालय जा सकते हैं।

राजह अपरिचित एवं अंगल अंगल
 प्लॉट 37 प्लॉट 1147, 1012, 953 खरा कुल:
 0.52 1/4 बीघा, 0.05 7/8 एवं 0.06 बीघा कुल क्षेत्र-
 फल के अक्षय कटने एवं मालिक चलने की पुष्टि की
 गई है तथा भूमि मालिक प्रमाणित निरीक्षण
 के पक्ष की किया गया है जिसे अक्षय निरीक्षण
 की दायित्व किया है।

अतः उक्त इतिहास भूमि मालिक प्रमाणित
 निरीक्षण की पुष्टि की जाती है। प्लॉट 1146 हेतु मालिक
 भूमि मालिक प्रमाणित निरीक्षण की पुष्टि की जाती है।
 तथा मालिक प्रमाणित निरीक्षण की पुष्टि की जाती है।
 एवं निरीक्षण के निदेश राखे कि को किया जाता है।

अक्षय
 CO. Govt